आचार संहिता

फेस्टो समूह की कंपनियों के लिए

प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रस्तावना

परम्परा के अनेक वर्षों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय पारिवारिक व्यवसाय के रुप में, फेस्टो समूह की जनसाधारण तथा इसके व्यावसायिक भागीदारों एवं कर्मचारियों में अच्छी प्रतिष्ठा है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने की है। इसलिए, हम अखंडता को बहुत अधिक महत्व देते हैं और नैतिकता की दृष्टि से ऐसी स्पष्ट कार्रवाई इसके लिए आवश्यक है जो प्रासंगिक कानूनों और नियमों के अनुरुप हो। इस आचार संहिता के साथ हम फेस्टो समूह की ओर से इन आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता घोषित करते हैं और वाणिज्यिक और सामाजिक वातावरण तथा विश्वभर में अपने स्टाफ के प्रति अपना दायित्व स्वीकार करते हैं।

आचार संहिता के उल्लंघनों और उल्लंघनों को बढ़ावा देने को सहन नहीं किया जाएगा और उपलब्ध सभी कानूनी साधनों के उपयोग करते हुए उचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कानूनी प्रतिबंध से आगे तथा परे जाकर, उल्लंघन करने पर प्रत्येक स्टाफ सदस्य को व्यक्तिगत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं।

1. उद्धेश्य, कार्यान्वयन क्षेत्र

यह आचार संहिता, कंपनी की ओर से उनके दैनिक कार्यों में प्रबंधन बोर्ड के सभी सदस्यों, सभी प्रबंधकों और फेस्टो समूह के स्टाफ सदस्यों के लिए बाध्यकारी और अनिवार्य दिशानिर्देश होंगे। यह हमारे मूल्यों के पूरक के रुप में न्यूनतम मानक हैं, जो उन व्यवाहारिक सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं जिन्हें हम नैतिकता की दृष्टि से स्पष्ट कार्यों के संबंध में, फेस्टो समूह के उन उच्च मानकों को सही ठहराने हेतु उचित तथा अनिवार्य मानते हैं जो संबंधित कानूनों और नियमों एवं हमारे अपने मूल्यों के अनुरुप हैं।

यह आचार संहिता फेस्टो समूह की सभी कंपनियों में लागू होगी, यहां तक कि जहां कुछ चुनिंदा देशों में फेस्टो समूह की कंपनियां सक्रिय है और वहां पर, इस आचार संहिता के प्रतिकूल व्यावहारिक या ऐसी व्यावसायिक प्रथाओं की मांग हो, प्रत्याशित हो या इन्हें सरकारी निकायों और सामान्य जनता द्वारा बर्दाशत किया जा रहा हो। यदि किसी देश विशेष में इस आचार संहिता में परिभाषित नियमों से सख्त नियम या व्यावहारिक प्रथाएं लागू हो तो ये सख्त नियम लागू होंगे।

इस आचार संहिता के पूरक के रुप में, विशिष्ट विषयों के बारे में व्यावहारिक ठोस नियम अलग दिशानिर्देशों में परिभाषित किए जाएंगे और इस संहिता के अतिरिक्त नियम संहिता के रुप में लागू होंगे। ऐसे मामलों में, जहां इस प्रकार के दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, मौजूदा संस्करण की प्रतियां, फेस्टो के इंटरनेट पृष्ठ ''कंपनी, निगमित गवर्नेंस, अनुपालना'' पर देखी और मुद्रित की जा सकती है। फेस्टो प्रबंधन बोर्ड के सभी सदस्यों और फेस्टो प्रबंधकों तथा स्टाफ के लिए इस आचार संहिता और पूरक दिशानिर्देशों का अनुपालन आवश्यक होगा। फेस्टो की श्रेष्ठ प्रतिष्ठा और फेस्टो समूह से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए, फेस्टो समूह की प्रत्येक कंपनी तथा उनके कर्मचारी के मध्य संबंध बनाए रखने के लिए आचार संहिता और पूरक दिशानिर्देशों को आधार के रुप में प्रयोग किया जाएगा। इससे तृतीय पक्ष को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाता।

2. मुख्य अनुपालना अधिकारी

पर्यवेक्षी बोर्ड की सहमति से, फेस्टो समूह के प्रबंधन बोर्ड ने एक मुख्य अनुपालना अधिकारी (सीसीओ) को नियुक्त किया है जो कि संगठनात्मक दृष्टि से सीधे प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा परंतु उसे पूरे प्रबंधन बोर्ड या पर्यवेक्षी बोर्ड के पास सीधे रिपोर्ट करने का अधिकार भी है।

सीसीओ का कार्य, अनुपालना प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) के संसाधन के हिस्से के रुप में फेस्टो समूह की प्रत्येक कंपनी को, इस आचार संहिता की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहयोग देना, अन्य गवर्नेंस कार्यों (जोखिम प्रबंधन, आंतरिक ऑडिट) आदि को संहिता के अनुरुप करने हेतु निगरानी करने, सीएमएस के संदर्भ में आचार संहिता हेतु दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करने और इन्हें समय समय पर आवश्यकतानुसार अद्यतन करने तथा आचार संहिता के कार्यान्वयन के संबंध में सभी प्रश्नों के लिए संपर्क व्यक्ति के रुप में कार्य करना है। गवर्नेंस कार्य ''आंतरिक ऑडिट'' के द्वारा कार्य करते समय आचार संहिता और पूरक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और इसके द्वारा पहचान किए गए किन्हीं भी उल्लंघनों को सीसीओ को अधिसूचित किया जाएगा।

नियुक्त की गई पूरक अनुपालना समिति का कार्य अनुपालना समिति के प्रक्रियात्मक नियमों के ढांचे के अंदर अपने कर्तव्यों का निवर्हन तथा सामान्य कार्य में सीसीओ की सहायता करना है।

3. व्यावसायिक वातावरण में व्यवहार

3.1 कानूनों, विनियमनों तथा आंतरिक नियमों में समरुपता

फेस्टो समूह के सभी स्थानों में, स्थानीय लागू कानूनों और न्यूनतम औद्योगिक मानकों, मानव अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय बिल के संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मौलिक अधिकारों की घोषणा और काम के अधिकार और फेस्टो के

समस्त नियमों तथा विनियमनों (जिन्हें निम्न में ''मानकों'' के रुप में संदर्भित किया गया है) का पालन किया जाएगा।

फेस्टो समूह के प्रबंधन बोर्ड, प्रबंधकों और स्टाफ को कंपनी के हित में काम करते हुए तभी माना जाएगा जब ये इन मानकों का पालन करते हैं, चाहे ऐसे मामलों में व्यक्तिगत रुप से या कंपनी की दृष्टि से ये रणनीति या आर्थिक रुप से प्रतिकूल या अनुचित दिखाई देते हों और फेस्टो प्रबंधन कार्मिक के किसी सदस्य द्वारा इसके विपरीत अनुदेश दिए गए हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक समय इन मानकों के अनुरुप व्यवहार किया जाता है, प्रत्येक स्टाफ सदस्य को उत्तरदायित्व के उसके क्षेत्र के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। आदर्श मॉडल के रुप में उनके कार्य को देखते हुए, हम अपने प्रबंधकों से केवल यही आशा नहीं करते कि वे इन मानकों को अपेक्षित रुप में सम्प्रेषित करेंगे अपितु वे इन्हें अपने व्यवहार में भी लाएंगे तथा ऐसा करने हेतु अपने स्टाफ को भी प्रेरित करेंगे। इस आचार संहिता के संबंध में स्टाफ के सभी प्रश्नों के लिए उनके लाइन प्रबंधक पहले संपर्क बिंदू हैं।

3.2 निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा

फेस्टो समूह अपने उत्पादों, अपनी अभिनव शक्ति, अपनी अखंडता और अपने कर्मचारियों की क्षमताओं के प्रति आश्वस्त है। फेस्टो समूह बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों और निष्पक्ष एवं खुली प्रतिस्पर्धा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर स्वीकार करता है। हम अपने व्यवसायी भागीदारों तथा प्रस्पिर्धियों से भी इसकी आशा करते हैं। फेस्टो समूह अपने निगमित उद्धेश्यों का अनुसरण पूरी तरह से उच्च गुणवत्ता प्रदर्शन के सिद्धांत के अनुसार पर करता है और ऐसे सभी प्रकार के व्यावसायिक सहयोगों, आदेशों या अन्य लाभों का स्पष्ट रुप से परित्याग करता है जिन्हें प्रतिस्पर्धा के संबंधित नियमों की अनदेखी करके पाया जा सकता है।

3.2.1 प्रतिस्पर्धा से संबंधित करार

फेस्टो समूह अपनी सभी गतिविधियों में, प्रतिस्पर्धा कानून के सिद्धांतों का पालन करना सुनिश्चित करने का ख्याल रखता है अर्थात बाजार करारों से परहेज करना, विशेष रुप से प्रतिस्पर्धियों के साथ मूल्यों, क्षमता, गैर प्रतिस्पर्धा, आपूर्तिकर्ताओं या ग्राहकों का बहिष्कार या बहिष्कार करने वालों का समर्थन करना, निविदा कार्यों में दिखावटी कोटेशन प्रस्तुत करना या ग्राहकों, क्षेत्रों या उत्पादन कार्यक्रमों को साझा करने का समझौता करना। उपरोक्त बातें लागू होगी, चाहे ऐसे समझौते या कार्य औपचारिक व्यवस्था का परिणाम हो या केवल किसी अनौपचारिक विचारविमर्श पर आधारित हो (जैसे व्यापार समिति की बैठकों में), अनौपचारिक ''विनम्र करारों'' या ''ठोस कार्रवाईयों'' पर आधारित हो, जिसका लक्ष्य उपरोक्त प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबंध लगाना हो या उसका कारण बनता हो।

संभावित प्रतिस्पर्धियों के साथ नियोजित करारों का परीक्षण तथा अनुमोदन करने के लिए फेस्टो के कानूनी विभाग को अग्रिम में प्रस्तुत किया जाएगा। फेस्टो के कानूनी विभाग के अनुमोदन के बिना कोई भी करार नहीं किया जाएगा।

3.2.2 रिश्वत या भ्रष्टाचार नहीं

फेस्टो समूह किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की रिश्वत को सख्ती के साथ अस्वीकृत करता है। फेस्टो समूह के प्रबंधन बोर्ड, प्रबंधकों तथा स्टाफ को व्यावसायिक भागीदारों, स्टाफ या व्यावसायिक भागीदारों के प्रतिनिधियों, कार्यालय धारकों, राजनीतिकों या रिश्तेदारों या इन समूहों में से किसी के भी साथियों को वस्तुओं या सेवाओं को हासिल करते समय बदले में वरीयता प्रदान करना, पेशकश करना, वायदा करना या लाभ प्रदान करना निषेध है, चाहे किसी दी जा रही सेवा या कार्य के प्रत्येक मामले में पात्रता हो या न हो। इस संदर्भ में, फेस्टो समूह व्यवसाय में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कामर्स (आईसीसी) के 1998 के संस्करण के दिशानिर्देशों तथा यूएस एफसीपीए (विदेशी भ्रष्टाचार व्यवहार अधिनियम) तथा यूके रिश्वत अधिनियम 2010 से बंधा हुआ है।

3.2.3 भुगतान

डिलीवरियों तथा प्राप्त सेवाओं के लिए फेस्टो द्वारा व्यवस्थित भुगतान, केवल संबंधित अनुबंधित भागीदार को (कानूनन वैध अंतरण करार या अनिवार्यत मोचन की अनुपस्थिति में) सीधे किया जाएगा और इसे सदैव अनुबंधित भागीदार के पंजीकृत कार्यालय के देश में किया जाएगा। 100 यूरो तक, बशर्ते कि इसके लिए विधिवत् हस्ताक्षरित रसीद जारी की जाए, की राशि के अपवाद के साथ नकद भुगतान निषेध है। इसके अतिरिक्त, इस सिद्धांत का विचलन करने वाले सभी भुगतानों और /या भुगतान करारों के बारे में, अविलम्ब तथा जहां तक संभव हो, अग्रिम सूचना सीसीओ को दी जाएगी।

3.2.4 व्यावसायिक प्रोत्साहन

कार्य निष्पादन से संबंधित कमीशन, बोनस जिसमें व्यावसायिक संघ करार से संबंधित खरीद, छूट और निःशुल्क प्रदान की गई वस्तुएं शामिल है, को पारंपरिक व्यवसायी प्रोत्साहन कहा जाता है। ऐसे या इस प्रकार के प्रोत्साहनों को लागू मानकों के अनुपालन में तथा इनके अनुसार ही प्रदान या प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के दिए जाने वाले या स्वीकार किए जाने वाले व्यावसायिक प्रोत्साहन प्रत्येक मामले में, नैतिक, कानूनी और सामाजिक दृष्टि से उचित तथा लिखित रुप से प्रलिखित होने चाहिए। अन्यथा प्रोत्साहनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और/या तुरंत वापस कर दिया जाएगा।

पारिश्रमिक, विशेष रुप से किसी तीसरे पक्ष, खास कर विक्रेताओं, दलालों, परामर्शकों या अन्य मध्यस्थों को दिए गए कमीशन, उन्हें दिए गए कार्य के अनुपात में होने चाहिए और पूरी तरह से, विशेष रुप से पारिश्रमिक गतिविधि और निपटान तिथि के बारे में, लिखित होने चाहिए। इन भुगतानों का आकार ऐसा होना चाहिए कि इनसे कोई भ्रांति न हो या इनसे यह धारणा न बने कि नाजायज लाभ देने के लिए

FESTO

मौजूदा नियमों को दरकिनार किया गया है। प्रतिनिधियों, दलालों, परामर्शकों और अन्य मध्यस्थों के साथ किसी भी लिखित करार, जिसमें ऐसे करार के बाद हुए परिवर्तन भी शामिल है, में करार के पक्षों के द्वारा दिया गया वचनपत्र शामिल होना चाहिए कि वे हर समय मौजूदा सिद्धांतों का पालन करेंगे और किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी में शामिल नहीं होंगे।

3.2.5 लाभ के लिए प्रस्ताव, उपहार स्वीकार करना या अनुरोध करना

सभी करार या सहायक करार जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से – चाहे किसी भी तरह से हो– जो किसी भी व्यक्ति या संगठन के पक्ष में सुविधा देने, अवार्ड देने, अनुमोदन, डिलीवरी, प्रसंस्करण या आदेशों के भुगतान (अर्थात अवैध लाभ) में लाभ प्रदान करने से है, वर्जित है। यह विशेष रुप से व्यवसायी भागीदारों तथा उनके स्टाफ या कार्यालय धारकों के साथ करारों पर लागू होगा।

स्टाफ द्वारा भुगतान केवल तभी किया जाना या करना चाहिए जब अनुबंधित वस्तुओं की डिलीवरी हो जाए या सेवाएं प्राप्त हो जाएं। ऐसा कोई भी भुगतान उपयुक्त होना चाहिए और उचित लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार रिकार्ड (दर्ज) किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में किसी भी भुगतान करने हेतु सहमति नहीं दी जाए, जहां पर यह मानने के आधार हो कि ऐसा भुगतान पूर्णतया या इसका कोई हिस्सा रिश्वत भुगतान के इरादे से किया जा रहा है।

व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपहारों और अन्य दान की पेशकश करने, अनुरोध करने या स्वीकार करने से समस्त स्टाफ को मना किया गया है। यह ऐसे आकस्मिक आतिथ्य और उपहारों पर लागू नहीं होगा जिनका वित्तीय मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है और यह व्यवसायी शिष्टाचार के सामान्य स्तर के अनुरुप है। हालांकि, हर बार इस प्रकार के आतिथ्य और उपहार की पेशकश तथा स्वीकृति इस अपेक्षा के अधीन होगी कि कानूनी नियमों का कोई भी उल्लंघन न हो और प्रत्येक दृष्टि से व्यावसायिक निर्णय पर प्रभाव की संभावना दूर तक न हो।

3.2.5.1 लाभ की पेशकश और प्राप्ति

इस आचार संहिता के अनुसार, उपहारों, आतिथ्य और इस प्रकार के लाभों से मना होगा यदि इनके मूल्य या अन्य कारणों से, प्राप्तकर्ता पर ऐसी कोई बाध्यता आने की संभावना है जिससे उसकी वाणिज्यिक या व्यावसायिक स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है।

सभी मामलों में धन की पेशकश तथा उपहारस्वरुप धन देने की मनाही होगी।

कार्यक्रमों या अन्य सामाजिक अवसरों पर निमंत्रण या तो प्रचलित व्यावसायिक प्रथा के अनुसार तथा इनके कार्यक्षेत्र और प्रकार के अनुसार उपयुक्त होने चाहिए या इनका स्पष्ट व्यावसायिक उद्धेश्य होना चाहिए।

व्यावसायिक आतिथ्य पर व्यय की गई धनराशि प्रसंगाधीन आतिथ्य की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के अनुसार होनी चाहिए।

दूनिया भर में, कार्यालय धारकों को दी जाने वाली सक्रिय तथा निष्क्रिय रिश्वत, दोनों अपराध है। फेस्टो रिश्वत के सभी कार्यों को अस्वीकार करता है। कार्यालय धारकों को उक्त वर्णित कार्यक्रमों या सामाजिक अवसरों पर किसी भी प्रकार का निमंत्रण (इस शब्द में सिविल सेवकों और राजनीतिकों के साथ ही प्रतिनिधियों और/या सार्वजनिक समारोहों में सक्रिय सार्वजनिक संस्थाओं के एजेंटों – चाहे ये नाममात्र के हों– को शामिल किया जाना चाहिए) जो इस आचार संहिता के अनुरुप है, इसकी केवल तभी तथा उस सीमा तक अनुमति होगी जहां तक अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय कानूनी विनियमनों में इसकी मनाही न हो और यदि ऐसे निमंत्रणों की अनुमति हो तो संबंधित कानूनी अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए। इस प्रकार के निमंत्रण या उपहारों को रिश्वतखोरी के कृत्यों के रुप में या इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा अर्थात किसी भी अवस्था में ऐसे निमंत्रणों या उपहारों को इसके अनुरोध के साथ या बदले में सेवाएं प्रदान करने से या सरकारी कार्रवाई के किसी ऐसे रुप से जोड़ा नहीं जाना चाहिए जो किसी आसन्न प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित करने के प्रयास के रुप में दिखाई देता हो। आपका ध्यान हमारी भ्रष्टाचार विरोधी अपेक्षाओं और अखंडता दिशानिर्देशों तथा इसके अनुपूरक राष्ट्रीय दिशानिर्देशों की ओर भी दिलाया जाता है।

व्यावसायिक भागीदारों के साथ कार्यक्रम से संबंधित निमंत्रण और फेस्टो से संबंधित एयरक्राफ़्ट (गर्म एयरशिप, गर्म हवा के गुब्बारे) की यात्रा में शामिल होने की अनुमति है। हांलाकि, ऐसे कार्यक्रम का प्रकार तथा कार्यक्षेत्र उचित होना चाहिए।

ऐसे सभी मामलों में, निमंत्रण प्राप्त होने पर फेस्टो समूह द्वारा काफी महत्व दिया जाता है और इस आचार संहिता के अनुसार, उनकी कंपनियों या संगठनों की अचार संहिताओं के अनुसार उपहारों की अनुमति है। प्राप्तकर्ता का ध्यान इस ओर दिलाया जाएगा। संदेह की अवस्था में, प्रसंगाधीन प्राप्तकर्ता द्वारा अपने लाइन प्रबंधक या वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन हेतु अनुरोध किया जाएगा।

3.2.5.2 लाभ हेतु अनुरोध तथा इन्हें स्वीकार करना

उपरोक्त सिद्धांत लाभ को स्वीकार करने पर भी लागू होंगेः फेस्टो समूह के प्रबंधन बोर्ड, प्रबंधन दल का कोई भी सदस्य या स्टाफ कंपनी में अपनी स्थिति या कार्य का उपयोग स्वयं या अपने निकट व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों (अमूर्त हितों सहित) हेतु अनुरोध नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा। ग्राहक के कार्यक्रमों या भोजन के समसामयिक निमंत्रणों, विशेष रुप से सरकारी बैठक के दौरान या बाद में या संकेतिक मूल्य या कम मूल्य के उपहारों को स्वीकार करने की अनुमति है (परंतु भाग 3.2.5.1 में उपलब्ध मानदंड पूरे होने चाहिए)।

कार्यक्रमों के संदर्भ में प्राप्त होने वाले निमंत्रणों सहित, निमंत्रणों को स्वीकार करते समय, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये निमंत्रण स्पष्ट रुप से और मुख्य रुप से व्यवसाय से संबंधित प्रकृति के हो और व्यावसायिक आतिथ्य पर व्यय की गई धनराशि प्रसंगाधीन सत्कार की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के अनुरुप हो। किसी व्यावसायिक भागीदार के चैरिटी कार्यक्रम में फेस्टो स्टाफ के किसी भी सदस्य के उपस्थित होने या चेरिटी उद्धेश्यों हेतु दान देने की तभी अनुमति होगी जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि यह, आचार संहिता में दिए गए सिद्धांतों, विशेष रुप से इस खंड (3.2.5.1) के पहले पैरा में दिए गए आदेश के अनुसार हो।

धनराशि के लिए अनुरोध करने और स्वीकार करने के सभी मामलों को मना किया जाएगा। यदि प्रबंधन बोर्ड, प्रबंधन टीम या फेस्टो समूह के किसी स्टाफ सदस्य को किसी उपहार और/या यहां पर वर्णित सीमाओं से अधिक तथा बढ़कर पेशकश की जाती है जिसमें स्वयं उसे या उसके निकट के व्यक्तियों को अधिमान्य परिस्थितियों में आनंद प्राप्ति के अवसर शामिल है, इसे सभी मामलों में अस्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार की पेशकश के बारे में सीसीओ को तुरन्त सूचित किया जाएगा।

3.2.5.3

भाग 3.2.5, 3.2.5.1 और 3.2.5.2 में उल्लिखित विनियमनों तथा प्रतिबंधों के उल्लंघनों को विश्व भर में कही पर भी यह तर्क देकर न्यायोचित नहीं ठहराया जाएगा कि कुछ कार्य बस स्थानीय रीति रिवाज हैं और संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपनाए जाते हैं।

3.2.6 दान और प्रायोजन

वापसी लाभ रहित भुगतान (धर्मार्थ दान) को सदैव पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए अर्थात प्राप्तकर्ता तथा दान करने के ठोस उद्धेश्य, जिसके लिए दान किया जा रहा है, ज्ञात हो तथा जिसका पता लगाया जा सके। प्रायोजन के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वित्तीय दान सहमत प्रतिदान के अनुपात में हो।

फेस्टो समूह ने इस उद्धेश्य के लिए दान तथा प्रयोजन संबंधी दिशानिर्देश जारी किया है। फेस्टो समूह के दिशानिर्देशों के इस मौजूदा संस्करण की ओर ध्यान दिलाया जाता है। इसे फेस्टो इंट्रानेट पृष्ठ ''कंपनी, नीतियां, दान और प्रायोजन'' पर देखा तथा अपेक्षानुसार मुद्रित किया जा सकता है।

3.3 स्थिरता और पर्यावरणीय अनुकूलता

फेस्टो स्थिरता और पर्यावरणीय अनुकूलता के सिद्धांतों का अनुपालन करता है। फेस्टो समूह संसाधनों की कमी संबंधी भावी पीढ़ियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में जानता है। जिन देशों में फेस्टो कार्यरत है, उन देशों में से प्रत्येक में लागू स्थानीय प्रावधानों सहित सभी पर्यावरणीय संरक्षण कानूनों का अनुपालन करना निगमित प्रबंधन, प्रबंधकों और फेस्टो समूह के प्रत्येक स्टाफ सदस्य का स्पष्ट दायित्व है। इसलिए फेस्टो समूह द्वारा नियुक्त पर्यावरणीय प्रबंधक, फेस्टो समूह द्वारा स्थापित की गई पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली, जो कि अन्य दूसरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय आई एस ओ मानकों 14001: 2004 पर आधारित है, को नियंत्रित तथा मॉनिटर करता है।

हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि पर्यावरणीय विनियमनों का पालन विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान तथा हमारे उत्पादों के जीवनचक्र के दौरान किया जाए। उत्पादों के विकास, सामग्री और आपूत्तिकर्त्ताओं, दोनों के चयन के दौरान और उत्पादन प्रक्रियाओं के दौरान, हम पारिस्थितिक कारकों तथा पर्यावरणीय अनुकूलता के संबंध में उच्च मानकों को लागू करते है।

3.4. सहिष्णुता और अवसर की समानता

FESTO

विश्व में सक्रिय कंपनी होने के नाते, फेस्टो समूह विभिन्न राष्ट्रीयता, संस्कृतियों और जीवन के दर्शनशास्त्रों वाले स्टाफ और व्यावसायिक भागीदारों के साथ काम करता है। हम एक दूसरे के साथ सम्मान, सहिष्णुता, प्रतिष्ठा, निष्पक्षता और खुले दिल से काम करते है।

फेस्टो समूह भेदभाव, उत्पीड़न, नुकसान करने, अपमान करने और सम्मानरहित व्यवहार के सभी रुपों को, बिना किसी अपवाद के अस्वीकार करता है। साथ ही नस्लीय पृष्ठभूमि, लिंग, धर्म, जीवन दर्शन, राजनीतिक विचारों, शारीरिक विकलांगता, आयु, यौन अभिविन्यास या किसी भी अन्य जातीय, सामाजिक तथा कानूनी रुप से सुरक्षित विशेषताओं के आधार पर स्टाफ या व्यावसायिक भागीदार के प्रति भेदभाव को भी अस्वीकृत करता है। कार्यस्थल पर सभी प्रकार के, विशेष रुप से यौन प्रकृति के उत्पीड़न मूल रुप से मना है। उपरोक्त के संबंध में यह कहना असंगत होगा कि प्रभावित व्यक्ति चाहे प्रसंगाधीन व्यवहार से बचना चाहे या नहीं, इस सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अपने व्यवहार को स्वीकार्य बनाना होगा।

इस संदर्भ में, प्रबंधकों को आदर्श मॉडल के रुप में अपनी स्थिति से अवगत होना चाहिए और भेदभाव तथा उत्पीड़न रहित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु उपाय करने चाहिए।

3.5 रिपोर्टिंग और प्रलेखीकरण

सभी कार्यवृत्त और रिपोर्ट, विशेष रुप से जो किसी तीसरे पक्ष की सूचनार्थ बनाई जाती है, तकनीकी रुप से सही तथा सच्ची होनी चाहिए। दिए गए आंकड़ें तथा अन्य रिकार्ड सदैव पूरे, सही, समय पर तथा प्रणाली संगत होने चाहिए तथा इस में प्रवर्तक या लेखक की पहचान और सृजन की तिथि स्पष्ट पहचानी जानी चाहिए।

समस्त व्यावसायिक लेनदेनों को, विशेष रुप से किए गए सभी मौखिक तथा लिखित करारों का प्रलेखीकरण किया जाएगा और इन्हें कानूनी तथा आंतरिक आवश्यकताओं के अनुसार भरा जाएगा।

3.6 व्यावसायिक भागीदारों का चयन

फेस्टो समूह के द्वारा अपने व्यावसायिक भागीदारों का चयन पूरी तरह से उद्धेश्यों तथा आर्थिक मानदंड के आधार पर किया जाता है और अपने आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच न्यायोचित तथा निष्पक्ष रुप से की जाती है। सिद्धांतिक रुप से अव्यावसायिक वरीयता या आपूर्तिकर्ताओं को हानि पहुंचाना, विशेष रुप से निजी कारणों से, निषेध है। निविदा आमंत्रण के मामलों में, निविदाएं सबसे अधिक लागत प्रभावी निविदाकर्ता को दिए जाएंगे बशर्तें कि अन्य कारण (गुणवत्ता, सेवा, दीर्घकालीन व्यावसायिक संबंध, साख आदि) अलग निर्णय का औचित्य सिद्ध न करें। इन मामलों में, निर्णात्मक विचारों का प्रलेखीकरण, इस कार्रवाई से दावा प्राप्त करने के लिए तीसरे पक्ष को सक्षम किए बिना, किया जाएगा।

फेस्टो अपने आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और अन्य सभी व्यावसायिक भागीदारों से, उनकी ओर से, इस आचार संहिता में व्यक्त किए गए मूल्यों का सम्मान करने, फेस्टो के साथ अपने लेनदेनों में इनको

ध्यान रखने और इनका अनुपालन सुनिश्चित करने की आशा करता है। फेस्टो समूह इस सिद्धांत को महत्व देता है कि जहां संभव हो, इस आचार संहिता की अपेक्षाओं को अनुबंधात्मक करारों में, विशेष रुप से अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ–साथ ग्राहकों और/या अन्य व्यावसायिक भागीदारों के साथ भी – समाविष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उनकी अनुमोदित आचार संहिता नहीं है। आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंधों के मामले में, यह तभी संभव होगा जब आपूर्तिकर्ता हमारी आपूर्तिकर्ता आचार संहिता से सहमत हों या यह दर्शा सकें कि इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित उनकी अपनी आपूत्तिकर्त्ता आचार संहिता है। हालांकि, इस बात के न होने पर, दीर्घकालीन आपूर्तिकर्ता संबंधों के मामले में व्यावसायिक या आपूर्तिकर्ता संबंधों को समाप्त करने का अधिकार फेस्टो समूह सुरक्षित रखता है बशर्ते कि चेतावनी दिए जाने के बावजूद, इस आचार संहिता में वर्णित सिद्धांतों का, विशेष रुप से रिश्वतखोरी, अनुचित लाभ प्रदान करने या बलपूर्वक या बाल श्रम के मामले में गंभीर उल्लंघन हो रहा हो।

3.7 सूचना की गोपनीयता और डेटा संरक्षण

फेस्टो समूह की कंपनियों और इनके व्यावसायिक भागीदारों से संबंधित समस्त सूचना को गोपनीय माना जाएगा और किसी तीसरे पक्ष को यह तब तक उपलब्ध नहीं की जाएगी जब तक कि यह सूचना पहले से सार्वजनिक न हो या अन्य माध्यमों से इसे सार्वजनिक न किया गया हो। कार्यालय अनुरोधों के संदर्भ में या फेस्टो समूह के वाणिज्यिक हितों को पूरा करने हेतु संबंधित ढ़ांचे में सूचना का अग्रेषण किया जाना अपेक्षित है। कार्यकारी संबंधों की समाप्ति के बाद भी यह बाध्यता जारी रहेगी।

व्यक्तिगत उद्धेश्यों के लिए गोपनीय सूचना का प्रत्यक्ष या परोक्ष उपयोग करना निषेध है। कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार गोपनीय सूचना तक अनधिकृत पहुंच से सक्रिय सुरक्षा प्रदान करने हेतु फेस्टो प्रबंधन बोर्ड के सभी सदस्य, प्रबंधक तथा स्टाफ जिम्मेदार होंगे।

फेस्टो समूह लगातार प्रासंगिक डेटा संरक्षण नियमों के अनुरुप कार्य करता रहेगा। डेटा संरक्षण कानून के दायरे के अंदर आने वाले ग्राहकों, स्टाफ या अन्य व्यावसायिक भागीदारों के व्यक्तिगत डेटा को केवल तभी एकत्रित, संसाधित या फेस्टो समूह द्वारा प्रयोग किया जाएगा जब इसकी कानूनन अनुमति होगी या संबंधित व्यक्ति से इसका करार होगा। व्यक्तिगत डेटा के प्रयोग में गोपनीयता की सुरक्षा और समस्त व्यावसायिक डेटा की सुरक्षा को, लागू कानूनी आवश्यकताओं को देखते हुए समस्त व्यावसायिक लेनदेनों में सुरिक्षत किया जाएगा। सिद्धांत के तौर पर गोपनीय सूचना, सरकारी दस्तावेजों और डेटा भंडारण माध्यमों को अन्य पक्षों की पहुंच से सुरक्षित किया जाएगा। संबंधित डेटा संरक्षण प्रबंधक के द्वारा इस बारे में क्षेत्रों/विभागों/प्रसंगाधीन कंपनियों को सहयोग दिया जाएगा।

3.8 विदेश व्यापार, निर्यात नियंत्रण तथा सीमा शुल्कों को कवर करने वाले विनियमन

फेस्टो समूह के द्वारा विदेश व्यापार, व्यापार प्रतिबंधों, सीमा शुल्कों और आतंकवाद नियंत्रण के साथ साथ, कंपनी के द्वारा विभिन्न देशों में किए जा रहे व्यवसाय पर लागू भुगतान प्रक्रियाओं से संबंधित बनाए गए विनियमनों सहित सभी विनियमनों का पालन किया जाएगा। वस्तुओं, सेवाओं या प्रौद्योगिकियों के आयात तथा निर्यात तथा भुगतान संसाधन में शामिल समस्त फेस्टो स्टाफ, आर्थिक

प्रतिबंधों, आयात और निर्यात नियंत्रण तथा समस्त दिशानिर्देशों एवं अपनी व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी हुई सभी प्रक्रियाओं से संबंधित कानूनों तथा लागू विनियमनों का पालन करने हेतु उत्तरदायी होगा।

4. साथियों के साथ व्यवहार

4.1 प्रबंधन संस्कृति

फेस्टो समूह अपने स्टाफ को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानता है। तदनुसार, यह अपने कर्मचारियों की 'योग्यता और विशेषज्ञता में निवेश करता है; प्रतिबद्धता और कार्यनिष्पादन को विशेष रुप से बढ़ावा दिया जाता है और पुरस्कृत किया जाता है।

फेस्टो समूह ने फेस्टो मूल्यों पर आधारित नेतृत्व संस्कृति को विकसित (जिसके विवरण फेस्टो के इंटरनेट पृष्ठ ''कंपनी, निगमित संस्कृति, मूल्य – हमारे मूल्यों'' के द्वारा देखा जा सकता है) किया है। इन सिद्धांतों के अनुसार, सभी प्रबंधकों से आदर्श मॉडलों के रुप में कार्य करने और इस आचार संहिता के अनुसार, विशेष रुप से उन्हें सौंपे गए कर्मचारियों के साथ काम करते हुए, व्यवहार करने तथा सम्मान, स्थिरता और जिम्मेदारी हेतु जागरुकता दर्शाने की आवश्यकता की अपेक्षा की जाती है। प्रबंधकों को अपने अनुकरणीय व्यवहार, कार्य निष्पादन, खुलेपन तथा सामाजिक कौशल के माध्यम से अपने कर्मचारियों में अपनी स्वीकृति प्राप्त करनी तथा इसे बनाए रखना चाहिए।

4.2 स्पष्ट तथा सुरक्षित कार्य स्थितियां

सम्मान, जिसमें फेस्टो समूह अपने स्टाफ को रखता है तथा कर्मचारियों के प्रति फेस्टो समूह की जिम्मेदारी की भावना भी फेस्टो समूह की उस इच्छा में परिलक्षित होती है जो निष्पक्ष तथा सुरक्षित काम करने की स्थितियां इसके द्वारा सभी देशों में अपने स्टाफ को दी जाती है और जो सभी स्थानीय आवश्यकताओं सहित संबंधित कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करती है।

समस्त कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य भी फेस्टो की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए फेस्टो का कंपनी की सभी डिवीजनों में लगातार उच्च गुणवत्ता स्तर को बनाए रखना सुनिश्चित करने, विशेष रुप से उत्पादों की डिजाइनिंग और कार्यस्थलों को सुरक्षित रखने, हेतु हर प्रयास किया जाता है। प्रसंस्करणों, प्रणालियों तथा ऑपरेटिंग संसाधनों में लागू सभी कानूनी तथा आंतरिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियमनों के साथ साथ आग तथा पर्यावरणीय सुरक्षा विनियमनों का अनुपालन होना चाहिए। अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति की मान्यता के अनुसार, फेस्टो समूह बुनियादी सिद्धांतों तथा काम के अधिकार और अन्य बातों को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संधिपत्र का अनुपालन करता है तथा बलपूर्वक सभी प्रकार के बालश्रम को खारिज करता है।

फेस्टो समूह संघ की स्वतंत्रता तथा अपने स्टाफ के किसी भी संघ या अन्यथा संवैधानिक रुप से मान्यता प्राप्त संघों या अन्य संगठनों, जो कामगारों के हितों की सुरक्षा तथा बचाव करते हैं, का सदस्य बनने के अधिकार को स्वीकारता तथा सम्मान करता है। इस तरह की गतिविधियों के कारण फेस्टो समूह किसी भी स्टाफ सदस्य का नुकसान नहीं होने देगा।

4.3 हितों के टकराव से बचाव

फेस्टो समूह यह बात सुनिश्चित करने को महत्व देता है कि इसके प्रबंधन बोर्ड के सदस्य, प्रबंधक तथा स्टाफ, हितों के टकराव या अपनी व्यावसायिक गतिविधियों की वफादारी में शामिल न हों।

इस प्रकार के टकराव घटित होते हैं, उदाहरणार्थ (क) एक तरफ फेस्टो समूह की कंपनियां और दूसरी ओर प्रबंधन बोर्ड के सदस्य या इनके निकट के व्यक्तियों के बीच लेनदेन, (ख) यदि प्रबंधन बोर्ड का कोई सदस्य या फेस्टो का स्टाफ किसी अन्य कंपनी के लिए कार्य करता है या इसमें उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष हित है, या (ग) ऐसे मामलों में जहां फेस्टो समूह के प्रतिस्पर्धियों या व्यावसायिक भागीदारों के साथ व्यावसायिक संबंधों के परिणामस्वरुप व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

प्रबंधन बोर्ड का कोई भी सदस्य या फेस्टो स्टाफ इस प्रकार के व्यावसायिक संबंध नहीं रखेगा यदि यह काफी हद तक माना जा सकता है कि इन संबंधों से व्यावसायिक निर्णय या लेनदेन प्रभावित हो सकते हैं। यह विशेष रुप से ऐसे मामले में होगा यदि संबंधित व्यक्ति, सामाजिक रुप से उचित से अधिक लाभ, अन्यथा प्राप्त कर रहा हो।

ऐसे किसी भी व्यावसायिक लेनदेनों को, इनके सम्पन्न होने से पहले, सामान्य सिद्धांत के रुप में बता दिया जाएगा और सीसीओ की अग्रिम लिखित अनुमति के बाद ही इसकी अनुमति होगी।

5. आचार संहिता का कार्यान्वयन

फेस्टो समूह के द्वारा इस आचार संहिता के उल्लंघन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसलिए, फेस्टो समूह के सभी प्रबंधकों को, इस आचार संहिता की विषयवस्तु और महत्व को स्टाफ को सूचित करने हेतु जिम्मेदार होना चाहिए। प्रबंधकों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें सौंपे गए स्टाफ को इस आचार संहिता के मौजूद होने की जानकारी ही न हो अपितु उन्होंने विशेष रुप से इसे समझ लिया हो तथा इसके महत्व का एहसास भी हो। प्रबंधक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनका स्टाफ इस आचार संहिता का सख्ती से पालन करें और ऐसा करने में उनकी सहायता करें। प्रबंधक नियमित अंतरालों पर प्रासंगिक मानकों (खंड 3.1 देखें) के अनुपालन की निगरानी करेंगे और स्टाफ के साथ विचार विमर्श में इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करेंगे। यदि लागू कानून के उल्लंघन के संकेत हों तो प्रबंधकों को दृढ़तापूर्वक इन्हें देखना चाहिए और जैसा उचित हो, सीसीओ को सूचित करना चाहिए।

फेस्टो समूह अपने स्टाफ को उचित सूचना (अर्थात इस आचार संहिता के पूरक दिशानिर्देशों के रुप में) उपलब्ध कराएगा ताकि कानूनों तथा इस आचार संहिता के संभावित उल्लंघन की पहचान करने हेतु सामयिक विधान के अनुसार अनुमति दी जा सके और इससे बचे रहने में मदद की जा सके। इसमें विशेष रुप से कुछ निश्चित विषयों और विशिष्ट खतरनाक क्षेत्रों के पाठयक्रमों में प्रशिक्षण देना शामिल है। बदले में फेस्टो प्रबंधन बोर्ड, प्रबंधक और स्टाफ को, संदेहास्पद मामलों में अपनी पहल

पर सूचना प्राप्त करने हेतु सहायता मिलेगी कि किसी मामले में कानूनी तथा नैतिकता की दृष्टि से स्पष्ट रुप से काम कैसे किया जाए। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सीसीओ उपलब्ध हैं।

इस आचार संहिता की विषयवस्तु या व्याख्या संबंधी किसी भी प्रश्न के बारे में फेस्टो समूह के स्टाफ सदस्य अपने लाइन प्रबंधक या सीसीओ को सीधे संपर्क कर सकते है। यह किसी उल्लंघन या संदेहास्पद उल्लंघन की अधिसूचना के बारे में विशेष रुप से लागू होता है। इस आचार संहिता से संबंधित तथा उल्लंघनों या संदेहास्पद उल्लंघनों की अधिसूचना के बारे में प्रश्नों को इंट्रानेट पृष्ठ ''कंपनी, निगमित गवर्नेंस, अनुपालना'' या ईमेल पतेः compliance@festo.com पर सीधे भेजा जा सकता है।

इस आचार संहिता के प्रत्येक खंड में, अनुपालना संबंधी कार्रवाई की अधिसूचना प्रदान करने के बारे में उल्लिखित आवश्यकता से आगे, स्टाफ का प्रत्येक सदस्य, जो सदभावनापूर्वक ठोस साक्ष्यों के आधार पर विश्वास करता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या हो सकता है, ऐसे किसी भी वास्तविक या संदेहास्पद उल्लंघन की अधिसूचना देने का अधिकार रखता है। स्टाफ सदस्य जो अपने लाइन प्रबंधक या सीसीओ को संभावित संस्थापित मुखबरी या हॉटलाइन compliance@festo.com के द्वारा वास्तविक या संदेहास्पद उल्लंघनों को अधिसूचित करते हैं, उन्हें इसके परिणामस्वरुप किसी भी प्रकार की हानि से डरने की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचनाओं को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। जहां तक आवश्यक होगा, फेस्टो समूह स्टाफ सदस्य (सूचनादाता) को हानि से बचाने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा। जहां तक संभव होगा और कानूनन अनुमेय होगा, वास्तविक या संदेहास्पद उल्लंघनों की अधिसूचना देने वाले स्टाफ सदस्यों और उल्लंघनों का सत्यापन करने वाले स्टाफ सदस्यों की पहचान को फेस्टो समूह द्वारा पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

हॉटलाइन compliance@festo.com और/ या फेस्टो समूह द्वारा लागू की गई मुखबरी प्रणाली, अवैध कार्यों की सूचना देने हेतु बाहरी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध होगी। बाहरी व्यक्ति, फेस्टो समूह अनुपालना के बारे में सूचना इंटरनेट पते www.festo.com (निगमित सूचना – निगमित प्रबंधन और मूल्य) के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और इस आचार संहिता को विशेष रुप से देख तथा इसका प्रिंट ले सकते हैं।

Esslingen, 02.02.2018

Alfred Goll	Gerhard Borho	Dr. Ansgar Kriwet	Dr. Dirk Erik Loebermann	Dr. Frank Melzer
Member of the Management Board Human Resources/ Spokesman of the Management Board	Member of the Management Board Finance	Member of the Management Board Sales	Member of the Management Board Operations	Member of the Management Board Product and Technology Management